प्रकरण संख्या 1/2022 नगर पालिका बनाम नारायणलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.11.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी नंबर 3518 रकबा 0.1051 हैक्टर भूमि मौजा सागवाड़ा में स्थित है, जिसके दक्षिण तरफ बिलानाम आराजी नंबर 3506 शामिल खसरा नंबर 3521 से होकर प्रार्थी अपने खेतों पर आता जाता है एवं बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि ले जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने करीब डेढ माह पूर्व जबरन तारबन्दी कर आने–जाने का रास्ता अवरूद्ध कर दिया, जिससे प्रार्थी को अपनी भूमि में आने–जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी को अपने खेत पर आने–जाने हेतु बिलानाम आराजी नंबर 3506 शामिल खसरा नंबर 3521 में की गयी तारबन्दी को हटाकर 30 फिट चौड़ा रास्ता बहाल कर राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में अंकित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.10.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि धारा 251ए में यह स्पष्ट प्रावधान है कि उपखण्ड अधिकारी स्वयं या अपने स्तर के किसी अधिकारी से मौका रिपोर्ट मंगवाकर उस अनुसार कार्यवाही की जाती है, किन्तु ऐसी रिपोर्ट पत्रावली में न तो मंगवाई गयी, न न्यायालय द्वारा मौका देखा गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस आराजी में रास्ता स्वीकृत किया गया है वह आराजी कृषि भूमि नहीं होकर एक पाल है और	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:40 IST
Reason: SelfAttested

को किसी भी स्थिति में रास्ते के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। पाल के उपर भारी भरकम साधन आ जा नहीं सकते। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से कोई भुगतान नहीं लिया, जबकि रास्ते के मामले में डी.एल.सी. दर से दुगनी राशि जमा कराने का पर ही रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने वक्त बहस प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ता दिया है वह पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है तथा जिस आराजी नंबर 3506 शा.नं. 3521 से रास्ता दिया गया वह राजस्व रेकार्ड में बिलानाम जलमग्न दर्ज होकर उसकी किस्म पाल दर्ज है। उक्त रिपोर्ट किसी सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.10.2021 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी स्वयं या अपने स्तर के किसी अधिकारी से पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब कर उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.01.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:40 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर